बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
मध्याह्न भोजन योजना

दिनांक 24.07.2012 को आयोजित ''बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति'' की कार्यकारिणी की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति – यथा उपस्थिति पंजी।

दिनांक 24.07.2012 को प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति की कार्यकारिणी की बैठक सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया :–

1. बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना के प्रबंधन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु वार्षिक कार्य योजना 2012–13 का अनुमोदन किया गया।
2. पत्रांक 247 दिनांक 21.02.2012 द्वारा 1 अप्रैल 2012 से परिवर्तन मूल्य मद में किये गये 7.5 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमोदन किया गया।
3. वित्तीय वर्ष 2011–12 के Opening Balance को आधार मानकर तत्काल मई 2013 तक समिति का लेखा विवरणी तैयार करने का निर्णय लिया गया।
4. बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति मुख्यालय हेतु तीन अतिरिक्त आदेशपाल के पद सृजन के निर्णय का अनुमोदन किया गया।
5. प्रत्येक जिले के मध्याह्न भोजन योजना कार्यालय हेतु एक Executive Assistant के पद के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गयी तथा इस हेतु जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में Executive Assistant हेतु गठित चयन समिति द्वारा जिला स्तर पर तैयार की गई प्रतीक्षा सूची से Executive Assistant की सेवा प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। उक्त Executive Assistant को बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन द्वारा समय–समय पर निर्धारित मानदेय का भुगतान बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति द्वारा किया जाएगा।
6. प्रत्येक जिला के लिये मध्याह्न भोजन योजना कार्यालय में एक आदेशपाल के पद सृजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। किन्तु उक्त पदों को भरने के संबंध में विभाग द्वारा अगल से निर्देश दिया जाएगा।
7. योजना के प्रतिदिन अनुश्रवण एवं वास्तविक समय में लाभान्वित बच्चों का आँकड़ा प्राप्त करने हेतु दोपहर (IVRS) के संचालन हेतु दिनांक 08.05.2012 को eHorizons Soft Tech Pvt. Ltd. नई दिल्ली से किये गये एकरारनामा का अनुमोदन किया गया।
8. बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति मुख्यालय के वित्तीय एवं लेखा प्रबंधन में सहयोग हेतु दिनांक 01.02.2012 को B. Gupta Chartered Accountant, मुख्य कार्यालय, सुकृति, चौथा तल्ला, एस० पी० वर्मा रोड, पटना से किये गये एकरारनामा का अनुमोदन किया गया।

9. गया, भागलपुर, पटना, वैशाली, पूर्णियाँ, औरंगाबाद, रोहतास, बेगूसराय एवं कटिहार के शहरी एवं अर्द्धशहरी क्षेत्र में स्थित विद्यालयों में केन्द्रीकृत किचेन के माध्यम से मध्याह्न भोजन की आपूर्ति हेतु गैर सरकारी संस्था से किये गये एकरारनामा के अवधि विस्तार संबंधी निर्णय का अनुमोदन किया गया।

10. प्रखंड स्तर पर मध्याह्न भोजन योजना संचालन–सह–अनुश्रवण समिति की संरचना में अल्प संशोधन के बाद प्रखंड साधन सेवी को सदस्य सचिव घोषित किये जाने संबंधी निर्णय का अनुमोदन किया गया।

11. पत्रांक 6086 दिनांक 10.12.2012 द्वारा मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत जिला तथा प्रखंड स्तर पर जिला समन्वयक, लेखापाल, लेखापाल–सह–डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, जिला साधन सेवी, प्रखंड साधन सेवी तथा संवेदकों के चयन हेतु एक कमिटी का गठन किया गया था जो इस प्रकार है :–

(i)	जिला शिक्षा पदाधिकारी	–	अध्यक्ष
(ii)	जिला प्रभारी पदाधिकारी (मध्याह्न भोजन योजना)	–	सदस्य सचिव
(iii)	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना)	–	सदस्य
(iv)	जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत एक पदाधिकारी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति)	–	सदस्य

उक्त चयन समिति में अल्प संशोधन करते हुये जिला पदाधिकारी को अध्यक्ष एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को समिति का सदस्य घोषित करने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत जिला तथा प्रखंड स्तर पर कर्मियों एवं संवेदकों के चयन, अवधि विस्तार एवं अन्य कार्य हेतु जिला स्तरीय चयन समिति की संरचना निम्नवत् होगीं :–

(i)	जिला पदाधिकारी	–	अध्यक्ष
(ii)	जिला शिक्षा पदाधिकारी	–	सदस्य
(iii)	जिला प्रभारी पदाधिकारी (मध्याह्न भोजन योजना)	–	सदस्य सचिव
(iv)	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना)	–	सदस्य
(v)	जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत एक पदाधिकारी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति)	–	सदस्य

12. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, पटना द्वारा खाद्यान्न के परिवहन–सह–हथालन व्यय की राशि का पुनरीक्षण करने का अनुरोध किया गया। इस संबंध में परिवहन–सह–हथालन व्यय में भारत सरकार से वृद्धि हेतु अनुरोध किये जाने के अलावे अन्य विकल्प पर विचार करने का निर्णय लिया गया।

13. राज्य खाद्य निगम के पास अवशेष खाद्यान्न के आलोक में खाद्यान्न के अगले आवंटन एवं अन्य समस्याओं पर विचार विर्मश करने एवं समन्वय स्थापित करने हेतु जिला प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना एवं राज्य खाद्य निगम के पदाधिकारियों को बैठक करने का सुझाव दिया गया।

14. भारतीय खाद्य निगम एवं राज्य खाद्य निगम को निर्देश दिया गया कि खाद्यान्न की समस्या के कारण एक दिन भी मध्याह्न भोजन योजन किसी भी विद्यालय में बाधित नहीं रहना चाहिए। खाद्यान्न का आवंटन समाप्त होने के स्थिति में आवश्यकता पड़ने पर राज्य खाद्य निगम द्वारा मध्याह्न भोजन योजना के पूर्व के अवशेष खाद्यान्न को निर्गत किया जाना चाहिए ताकि मध्याह्न भोजन बाधित न हों। इस

4.

संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी जिला प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना को खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण में होने वाली समस्याओं से अविलम्ब अवगत कराने हेतु पत्र देने का सुझाव दिया गया है।

15. मध्याह्न भोजन तैयार करने हेतु विद्यालयों में रसोई गैस के उपयोग की संभावना पर विचार विमर्श करने हेतु IOCL के साथ बैठक करने का निर्णय लिया गया।

16. भारतीय खाद्य निगम द्वारा लंबित बकाये की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया। इस संबंध में औरंगाबाद, बेतिया, नवादा, वैशाली, खगड़िया, मोतिहारी एवं गोपालगंज में भारतीय खाद्य निगम के लंबित भुगतान हेतु जिला पदाधिकारियों को पत्र देने का निर्णय लिया गया।

17. मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय को महालेखाकार कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये सी०डी० के आलोक में ए०सी० विपत्र के विरूद्ध डी०सी० विपत्रों का शत् प्रतिशत समायोजन करने की उपलब्धि पर कार्यकारिणी समिति द्वारा संतोष व्यक्त किया गया एवं सभी पदाधिकारियों को अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद दिया गया।

18. बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति में अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों के मानदेय में एकरूपता हेतु अन्य समितियाँ यथा बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति तथा BRLPS (JIVIKA) के मानदेय की संरचना के आधार पर समीक्षा कर प्रस्ताव तैयार करने का निर्णय लिया गया है।

प्रधान सचिव–सह–अध्यक्ष, बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति द्वारा धन्यवाद, ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

30/07/12

प्रधान सचिव–सह–अध्यक्ष
बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1292 / दिनांक 06/08/12

प्रतिलिपि–निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार, पटना/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना/निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम/वरीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम/उप निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/07/12

प्रधान सचिव–सह–अध्यक्ष
बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति,
बिहार, पटना।